संस्थागत "सॉफ़्टवेयर" : दक्षिण एशिया में नाभिकीय अस्थिरता का प्रच्छन्न आयाम
Institutional "Software": The Hidden Dimension of Nuclear Instability in South Asia

गौरव कंपानी
Gaurav Kampani
April 25, 2011

सन् 1998 में जब से भारत और पाकिस्तान ने औपचारिक रूप में नाभिकीय हैसियत का दावा किया है तब से नाभिकीय आशावादियों और निराशावादियों के बीच परमाणु प्रसार के परिणामों को लेकर नए सिरे से बहस छिड़ गई है. सागन-वाल्ट्ज़ की मौलिक बहस को एक ओर गांगुली ने आगे बढ़ाया और यह आशावादी तर्क दिया कि दक्षिण एशिया में स्थिरता है तो दूसरी ओर निराशावादी स्वर में कपूर का कहना है कि दक्षिण एशिया में अस्थिरता बने रहने के गंभीर कारण हैं. इन परवर्ती विद्वानों के तर्कों में संरचनात्मक केंद्रबिंदु स्थिरता या अस्थिरता का है जिसके कारण नाभिकीय हथियारों के प्रयोग से बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ सकता है. परंतु इन तर्कों में नाभिकीय स्थिरता के प्रबंधन से संबंधित "सॉफ़्टवेयर" की भूमिका का कोई उल्लेख नहीं है. संक्षेप में भारत और पाकिस्तान की संस्थागत क्षमताओं और परिचालनगत रणनीतियों का अर्थ है, नाभिकीय शक्तियों का प्रबंधन. मुक्त स्रोत (ओपन-सोर्स) के क्षेत्र और भारत में किए गए फ़ील्ड अनुसंधान से प्राप्त डेटा का उपयोग करते हुए यह तर्क दिया जा सकता है कि नाभिकीय उपयोग के मामले में भारत और पाकिस्तान के दृष्टिकोण में बहुत अंतर है. यह अंतर इतना अधिक मुखर है कि इससे एक-दूसरे के बारे में गलत धारणाएँ बनाने और गलत अर्थ लगाने का जोखिम बढ़ने की संभावना इतनी अधिक हो सकती है कि नाभिकीय हथियारों के उपयोग को लेकर भावी युद्ध भी छिड़ सकता है.

1970 के दशक में पाकिस्तान की धारणा थी कि नाभिकीय शस्त्रागार उसके अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए गारंटी हैं, लेकिन 1980 के दशक के बाद उसकी यह धारणा बदल गई और उसे लगने लगा कि नाभिकीय शस्त्रागार आक्रामक युद्ध के लिए भी आवश्यक है. तब से पाकिस्तानी सेना नाभिकीय "छत्र" के अतर्गत संरक्षण का इस्तेमाल करने लगी है. पहले यह धारणा केवल कल्पना में थी, लेकिन अब यथार्थ में परिणत हो गई है और तदनुसार पाकिस्तान भारतीय पंजाब और कश्मीर में विद्रोहियों को समर्थन देकर उपमहाद्वीप में भारत के खिलाफ़ युद्ध छेड़ने पर आमादा है.पाकिस्तानी सेना का मानना है कि परमाणु निवारक ने पाकिस्तान को भारत के परंपरागत जवाबी हमले के खतरे से प्रतिरक्षित कर दिया है. पाकिस्तानी राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठान ने तो यह मान भी लिया है कि परमाणु निवारक ने चार बार भारत के परंपरागत हमलों से उसे बचाया हैः 1986-87 का ब्रास्टैक संकट, 1990 में कश्मीर संकट और 1999 में कारगिल युद्ध और हाल ही में 2001-2002 का सैन्य गतिरोध,जब भारत ने बलपूर्वक राजनय का प्रयोग करने की असफल चेष्टा की थी.

पिछले दशक की तुलना में दक्षिण एशिया में 1980 और 1990 के दशकों में कहीं अधिक स्थिरता थी. एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान की भड़काऊ कार्रवाइयों से निपटने के लिए निषेध की रक्षात्मक रणनीति अपनानी शुरू कर दी. निषेध का अर्थ यह था कि उप-परंपरागत युद्ध छेड़ने में मदद करने के उद्देश्य से खुले समर्थन के रूप में पंजाब और कश्मीर में सीधी दखलंदाज़ी करने की पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई को रोकने के लिए भारत बहुत हद तक अपनी परंपरागत शक्ति का ही उपयोग करेगा.अपनी इस रणनीति के पूरक के रूप में भारत ने अनेक राजनीतिक-आर्थिक प्रलोभन देकर और अर्ध-सैनिक बलों / पुलिस के दबाव से विद्रोहियों की जीत को असफल सिद्ध करने का भी प्रयास किया.

परंतु 1990 के दशक के उत्तरार्ध में भारत ने निषेध की रणनीति छोड़कर निषेध के साथ दंड की रणनीति को भी अपना लिया. इस बदलाव का मुख्य कारण था, पिछले एक दशक से कश्मीरी विद्रोहियों को

पाकिस्तान का पूरा समर्थन,लेकिन इसका तात्कालिक प्रेरक कारण था, कारगिल युद्ध. यद्यपि पाकिस्तान युद्ध में पराजित हो गया था,लेकिन इसके निहितार्थ बहुत साफ़ थे. भारत की निषेध की रणनीति को भी झटका लगा था. इसके परिणामस्वरूप भारत ने निर्णय किया कि कदाचित् उप-परंपरागत युद्ध को खत्म करने के एक उपाय के रूप में विद्रोहियों को समर्थन देने वाले संस्थागत प्रवर्तक - पाकिस्तानी सेना- को परंपरागत साधनों से ही दंडित किया जाए. परंतु इसमें चुनौती एक ऐसा मध्य मार्ग अपनाने की थी कि भारतीय सेना परंपरागत शक्ति का उपयोग तो करे लेकिन पाकिस्तान को परमाणु युद्ध की ओर धकेलने से बचा जाए. सन् 2000 में भारत के रक्षा मंत्री जॉर्ज फ़र्नांडिस ने संकेत दिया था कि भविष्य में भारत नाभिकीय स्थितियों में सीमित परंपरागत युद्ध के तरीके ही अपनाएगा.
2001-2002 में नई दिल्ली ने भारतीय संसद पर हमले के जवाब में पाकिस्तान को परंपरागत युद्ध की धमकी देते हुए इसी रणनीति को अपनाया था. सैद्धांतिक बदलाव के बावजूद यह प्रयास भी विफल रहा, क्योंकि भारतीय सेना सीमित शीघ्र परंपरागत कार्रवाई करने का कोई सैन्य और परिचालनगत उपाय न खोज पाई. धीमी भारतीय कार्रवाई के कारण पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई करने का भरपूर समय मिल गया, जिसके कारण भारतीय सेना पिछली योजना से कहीं अधिक बड़े पैमाने पर परंपरागत युद्ध में जुटने के लिए विवश हो गई. इस संकट में भारत के राजनीतिक नेताओं की दुविधा यह थी कि क्या करें,या तो पूरी कार्रवाई करें या फिर कुछ न करें और उन्होंने बड़ी समझदारी से कुछ भी न करने का निर्णय किया.

यह प्रयास विफल होने के बाद भारतीय सेना सीमित और परंपरागत युद्ध को कारगर बनाने के लिए सैन्य और परिचालन संबंधी साधनों को विकसित करने में जुट गई. नई भारतीय रणनीति -शीत आरंभ- के दो घटक हैं. पहला घटक यह था कि युद्ध में जुटने की भारत की तैयारी में इतना सुधार कर लिया जाए कि भविष्य में पाकिस्तान की किसी भी भड़काऊ कार्रवाई के तुरंत बाद बिना कोई समय गँवाए भारत लगभग तत्काल ही जवाबी कार्रवाई कर सके. दूसरा घटक यह था कि पश्चिमी सीमा पर सेना की रक्षात्मक टुकड़ियों को छोटी इकाइयों में,अधिक सचल बनाकर समन्वित युद्ध की टुकड़ियों में कुछ इस तरह से पुनर्विभाजित कर दिया जाए और इस प्रकार उन्हें इतना सक्षम बना दिया जाए कि वे परंपरागत खोजी कार्रवाई कर सकें और सीमा से लगे पाकिस्तानी इलाके को सीमा से दूर स्थित हमला करने वाले डिविज़न को अलग-थलग कर सकें ताकि वहाँ से उन्हें कोई मदद न मिल सके और उन्हें अपने-आपको तैयार करने में भी खासा समय लग जाए.

पाकिस्तानी सेना ने भारत की परंपरागत युद्ध नीति को समझते हुए तदनुसार अपनी नाभिकीय रणनीति को भी समायोजित कर लिया है.एमआईटी के प्रोफ़ेसर विपिन नारंग ने इसे ‘‘असममित वृद्धि’’ का नाम दिया है. इसका अनिवार्यतः मतलब यही है कि पाकिस्तान नाभिकीय हथियारों के इस्तेमाल में पहल करने की योजना बना रहा है और यह पाकिस्तान के इरादे की गंभीरता को प्रकट करता है ताकि इससे युद्धविराम हो जाए और परंपरागत युद्ध भी जल्द ही खत्म हो जाए. इसे सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान ने अपने नाभिकीय सिद्धांत या कार्ययोजना की सार्वजनिक घोषणा नहीं की है, लेकिन पाकिस्तान के वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों ने इसे कारगर बनाने की अपनी योजना के कुछ संकेत दिए हैं. पहले पाकिस्तान नाभिकीय हमले का आशंका को प्रचारित करेगा.अगले कदम के रूप में वह अपनी धरती पर ही इसका विस्फोट करके इसकी गंभीरता को प्रदर्शित करेगा और तीसरे चरण में भारतीय सेनाओं पर उससे हमला करेगा. चौथे कदम के रूप में पाकिस्तान भारत में कम आबादी वाले इलाकों के आसपास बने सैन्य ठिकानों पर नाभिकीय हमले करेगा. पाकिस्तान को उम्मीद है कि इस प्रकार की नाभिकीय युद्ध की रणनीति से नाभिकीय हमलों को बड़ी आबादी वाले इलाकों से दूर रखा जा सकेगा और

नाभिकीय युद्ध को सीमित भी रखा जा सकेगा.
इसके विपरीत भारत इस बात पर अड़ा है कि वह नाभिकीय हथियारों का उपयोग पहले तो कतई नहीं करेगा और अगर जवाबी कार्रवाई के रूप में पाकिस्तानी इलाके में नाभिकीय हथियारों का प्रयोग करता भी है तो भी बड़ी जवाबी कार्रवाई करके पाकिस्तान को दंडित करेगा. भारत का मानना है कि नाभिकीय हथियार युद्ध के लिए नहीं हैं,बल्कि इनका एकमात्र मकसद दूसरों को नाभिकीय,रासायनिक और जीव वैज्ञानिक हथियार इस्तेमाल करने से रोकना है. इसके अलावा नाभिकीय हथियारों के सीमित उपयोग और नियंत्रित वृद्धि से कागज़ी रणनीति ही बनाई जा सकती है और कदाचित् इसके परिणामस्वरूप दोनों ओर से नाभिकीय हथियारों के विनिमय पर काबू नहीं पाया जा सकेगा. इसलिए भारत का अभी-भी यही मानना है कि इसके पास दो अतिवादी विकल्प हैं, या तो कुछ न करें या फिर इतना जबर्दस्त हमला करें कि दुश्मन के छक्के छूट जाएँ और उसे भारी नुक्सान उठाना पड़े. इस प्रकार भारत के नाभिकीय सिद्धांत और उसकी परंपरागत युद्ध नीति में अंतर्विरोध हैं; जहाँ एक ओर "शीत आरंभ" की रणनीति में सीमित साधनों से सीमित लक्ष्य हासिल करने का संकल्प है, वहीं दूसरी ओर बड़े स्तर पर जवाबी कार्रवाई में असीमित साधनों से असीमित लक्ष्य हासिल करने का प्रस्ताव है. सभी कुछ या कुछ नहीं हासिल करने का जो सिद्धांत भारत की घोषित रणनीति में निहित है, वह इसे अतुलनीय बना देता है. वास्तव में इससे निवारण का जो लक्ष्य है,उसका महत्व ही कम हो जाता है और जिसे रोकने की आशा थी, उसका खतरा बढ़ने की गुंजाइश और भी बढ़ जाती है.

भारत और पाकिस्तान के नाभिकीय उपयोग के मूल दर्शन के स्रोत में ही अंतर है और यह अंतर है दोनों देशों के नागरिक-सैन्य संस्थागत भिन्नता का. पाकिस्तान में सेना ने अपने सैन्यबल की संरचना और सिद्धांत पर अपने संगठनात्मक तर्क को थोप रखा है. यही कारण है कि पिछले एक दशक में पाकिस्तानी शस्त्रागार के आकार में व्यवस्थित रूप में इजाफ़ा होता रहा है और उसका आधुनिकीकरण भी निरंतर होता रहा है. युद्ध लड़ने के सिद्धांतों में उप-परंपरागत और परंपरागत युद्ध की रणनीतियों के अनुरूप समायोजन होता रहा है. इसकी विश्वसनीयता का एक और कारण यह भी है कि पाकिस्तानी सेना का स्रोत एक ही है और वह परंपरागत और नाभिकीय युद्ध की रणनीतियों में समन्वय भी करती है. इस प्रकार दोनों एक दूसरे से संबद्ध हैं. नाभिकीय उपयोग के बारे में पाकिस्तान के विचार भयानक तो लग सकते हैं,लेकिन नाभिकीय निवारण के संबंध में उनकी विश्वसनीयता भी काफ़ी अधिक है.

दूसरी ओर भारत में नागरिक और सैन्यबल में संस्थागत भेद हैं,जिसके कारण परंपरागत और नाभिकीय युद्ध की योजनाएँ अलग-अलग हो जाती हैं. सेना ने अपने नागरिक आकाओं से निर्देश न मिलने की स्थिति में परंपरागत युद्ध की रणनीति बना रखी है. इसी प्रकार नागरिक और सैन्य संस्थाओं के बीच बहुत कम संवाद होता है. भारतीय सैन्यबल के उच्च स्तर का कुछ नेतृत्व तो अपनी परंपरागत और नाभिकीय युद्ध नीतियों की सैद्धांतिक कमज़ोरियों को समझता है,लेकिन उन्हें दूर करने की क्षमता का उनमें अभाव है. नागरिक नाभिकीय निर्णय के संबंध में सैन्य हस्तक्षेप पर भरोसा नहीं करते,क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे नाभिकीय उपयोग पर उनका नियंत्रण ढीला पड़ जाएगा. इसलिए वे सेना को इस बारे में निर्णय लेने के अधिकार से दूर ही रखते हैं. इसे सुनिश्चित करने के लिए इस बात की भी पूरी संभावना है कि भारत की नाभिकीय योजनाओं का परिचालन घोषित नीतियों से बिल्कुल अलग हो, लेकिन अभी तक इसके कोई संकेत नहीं मिले हैं. भारत की रणनीतिक सैन्य कमान,जो तीनों सेनाओं की एजेंसी है और जो परंपरागत युद्ध का नेतृत्व करेगी, संस्थागत रूप में विभाजित क्षेत्रों से अलग-थलग रहकर ही युद्ध का संचालन करेगी. नाभिकीय और परंपरागत युद्ध संचालन की योजनाओं में उनकी भूमिकाओं को जानबूझकर ही विभाजित रखा गया है. भारत सरकार ने भारत के सैन्य प्रयासों पर समग्र रूप में नज़र रखने के लिए न तो रक्षा कर्मियों के ब्रिटिश

चीफ़ की तरह और न ही रक्षाकर्मियों के अमरीकी संयुक्त चीफ़ की तर्ज़ पर कोई संस्था बनाई है. इसका शुद्ध परिणाम यही है कि भारत की परंपरागत और नाभिकीय युद्ध नीतियों में कोई समन्वय नहीं हैं.

यह विडंबना ही है कि नाभिकीय उपयोग के बारे में भारत की अरुचि के कारण ही वास्तविक नाभिकीय उपयोग का खतरा और भी बढ़ गया है. भारत के नीति-निर्माताओं के दिमाग में यह धारणा घर कर गई है कि नाभिकीय ज़िम्मेदारी का आधार यह सुनिश्चित करना ही है कि नाभिकीय हथियारों का प्रयोग कभी आक्रोश में आकर न किया जाए. यह वचनबद्धता अच्छी भी है. लेकिन किसी महत्वपूर्ण संस्थागत क्षमता और रणनीति के अभाव में नाभिकीय हथियारों के प्रबंधन से यह संदेह होता है कि क्या यह ख्वाहिश कभी यथार्थ रूप में कार्यान्वित हो भी पाएगी.

गौरव कम्पानी स्टैनफ़ोर्ड विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व सहयोग केंद्र में नाभिकीय सुरक्षा के फ़ैलो हैं और कॉर्नेल विश्वविद्यालय के सरकार विभाग में डॉक्टरेट पूर्व प्रत्याशी हैं.

हिंदी अनुवादः विजय कुमार मल्होत्रा, पूर्व निदेशक (राजभाषा),रेल मंत्रालय, भारत सरकार
<malhotravk@hotmail.com>